फैक्स/ई0मेल/महत्वपूर्ण

संख्या : 1091 आर/छः-पु-5-15

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांकः 15 दिसम्बर, 2015

विषय-जनपद में स्थित शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस के नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि शस्त्र व्यवसाय अत्यन्त संवेदनशील विषय होने के कारण जनता को वृहत रूप से प्रभावित करने वाला विषय है। ऐसी स्थिति में शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस का वर्षवार समय से नवीनीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं अपरिहार्य है। इस संबंध में शासन द्वारा पूर्व में समय-समय पर निर्देश भी निर्गत किये गये है। शासन के संज्ञान में आया है कि जनपद में स्थित समस्त शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस(प्रपत्र-9, 11, 12, 13 एवं 14) का समय से नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रपत्र-9 के स्वीकृताधिकारी गृह मंत्रालय, भारत सरकार है तथा प्रपत्र-11, 12, 13 एवं 14 के स्वीकृताधिकारी गृह विभाग, राज्य सरकार है। इसी प्रकार प्रपत्र-9, 11 एवं 12 के नवीनीकरण प्राधिकारी(गृह विभाग) राज्य सरकार है तथा प्रपत्र-13 एवं 14 के नवीनीकरण प्राधिकारी स्वयं जिला मजिस्ट्रेट है। जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रपत्र-9 की संख्या जनपद गाजीपुर में 02, मुजफ्फरनगर में 20, बहराइच में 01, जनपद कन्नौज में 21, जनपद प्रतापगढ़ में 16, जनपद मुरादाबाद में 20, अलीगढ़ में 02, जनपद जौनपुर में 01, जनपद लखनऊ में 01, जनपद सीतापुर में 01, जनपद देवरिया में 24, जनपद कानपुर नगर में 01 तथा जनपद बुलन्दशहर में 01 है, परन्तु शासन के अभिलेखों के अनुसार प्रपत्र-9, 11 एवं 12 के नवीनीकरण प्रस्ताव शासन को समय से प्रेषित नहीं किये जा रहें है तथा प्रपत्र-13 एवं 14 का नवीनीकरण समय से जनपद स्तर पर किया जा रहा है अथवा नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नवत् प्रारूप में सूचनाएँ प्रत्येक दशा में दिनांक 22.12.2015 तक फैक्स(**0522-2238409**) अथवा ई0मेल(**sopolice5@yahoo.com**) के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

क्र0 सं0	लाइसेंसी व फर्म का नाम व पता (पिन कोड सहित)	प्रपत्रों(प्रपत्र-9, 11, 12, 13 एवं 14) का विवरण	नवीनीकरण की अद्यतन स्थिति अर्थात लाइसेंस किस वर्ष तक नवीनीकृत है	समय से नवीनीकरण न होने का कारण	शासन से निर्गत निर्देश/आपत्ति, यदि कोई हो	शासन के आदेश का अनुपालन न होने का कारण	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08

3. उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंसों के नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रतिवर्ष जनवरी माह से लेकर विलम्बतम मार्च माह तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले नवीनीकरण प्रस्तावों पर शासन द्वारा संबंधित कार्मिक के उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

<u>संख्या तथा दिनांक उक्त।</u>

प्रतिलिपि–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से पुलिस आख्या हेतु सन्दर्भित किये जाने वाले प्रकरणों को, सन्दर्भ प्राप्ति की तिथि से विलम्बतम 15 कार्यदिवसो के अन्तर्गत उन्हें वापस करना सुनिश्चित करें तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपने स्तर पर नियमित रूप से साप्ताहिक समीक्षा कर प्रभावी अनुश्रवण करें।

आज्ञा से,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव